

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. **PF-27/48921** और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
(विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)

प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र/ डेवलपर	सिग्नेचरग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड					
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं./वर्ष – 33 of 2018 दिनांक: 26-05-2018, निर्माण योजना स्वीकृति तिथि: 13.05.2020- मेमो नं.: ZP-1333/JD(RD)/2020/7913, हरियाणा रेरा प्रमाणित नं.: 15 of 2020 Dated 23.06.2020.					
3. स्थान	सेक्टर 79, गुरुग्राम, हरियाणा।					
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 5.9125 एकड़ में कुल 852 अपार्टमेंट में से 60 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी-सह-क्रेश।					
5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम						
अपार्टमेंट के विवरण						
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिला कर)*	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
1BHK TYPE-01	15	356.169	57.361	14,53,357	72,668	2,90,671
1BHK TYPE-02	8	355.610	49.083	14,46,982	72,349	2,89,396
1BHK TYPE-03	5	399.591	64.325	16,30,527	81,526	3,26,105
3BHK TYPE-01	22	638.477	93.539	26,00,678	1,30,034	5,20,136
3BHK TYPE-01 (MQ)	9	638.477	93.539	26,00,678	1,30,034	5,20,136
3BHK TYPE-02	1	633.063	95.907	25,80,206	1,29,010	5,16,041

ii) 75% शेष राशि का भुगतान तीन वर्ष के दौरान प्रति 6 महीनों में बराबर किस्तों में किया जायेगा। हालाँकि, आवंटन के समय पुनः ली जाने वाली अधिकतम राशि, संशोधन अधिनियम संघीय—27/15922 05, जुलाई, 2019 के मुताबिक पहले ड्राँ के दूसरे आवंटियों द्वारा देय राशि के बराबर होगा। भुगतान की निश्चित राशि निम्न से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। हरियाणा स्थित एलएड निकाय प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 के अनुसार भुगतान में किसी प्रकार की चूक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	<ul style="list-style-type: none"> • फ्लोरिंग : कमरों में विट्रिफाइड टाइल्स, किचन में विट्रिफाइड/सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में एंटी स्किड सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में एंटी स्किड/गैट फिनिश सिरामिक टाइल्स, • लिफ्टकियाँ : IS कोड के अनुसार M.S. सेक्शन/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • दरवाज़ों के फ्रेम : रेड मरंडी/माइल्ड स्टील/अल्युमिनियम पाउडर कोटेड/UPVC • वॉल टाइल : 4 फुट/7 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स एवं ऊपर ऑयल बारंड डिस्टेंपर • किचन काउंटर टॉप ग्रीन मार्बल/ग्रेनाइट • दीवार : ऑयल बांड डिसटेंपर • सेनिटरी फिटिंग : ISI मार्क CP फिटिंग्स, W.C. और वॉश बेसिन • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्क। स्ट्रक्चर : IS कोर्ड और NBC के नवीनतम सुझावों के अनुसार, RCC फ्रेम स्ट्रक्चर को SEMMIC फोर्स से बचाव के लिए, डिज़ाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	<p>i) आवेदन पत्र दिनांक 02.03.2021 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये मुगतान कर SignatureGlobal (India) Private Limited, Corp. Office - Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001, 0124-4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें : 7053-121-121 ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 19.03.2021. iii) विवरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।</p>

योग्यता : 1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो। 2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (प्रोपमवाइ) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पड़वाना प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित समेत के पड़वाना किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य प्रोपमवाइ लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे प्लेट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुड़ा की किसी कॉलोनी/सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंसड कॉलोनी में अपना प्लेट/प्लॉट नहीं हो। 3. एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल को ही आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य प्लेट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवेदन के लिए सफल होता है तो पर्वत का केवल एक प्लेट चुनना होगा।

आवंटन के मानक : 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉटरी से होगा। समिति में उपयुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे। 2. लॉटरी की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में अफेक्टिव को लॉटरी की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे। 3. मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफेक्टिव ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और सं.सं संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tchpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)।



SIGNATUREGLOBAL (INDIA) PRIVATE LIMITED | CIN: U70100DL2000PTC104787

Regd. Office: 13th Floor, Dr. Gopal Das Bhawan, 28 Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001

Corp. Office: Ground Floor, Tower A, Signature Tower, South City -1, Gurugram, Haryana-122001 | www.signatureglobal.in

HOME LOAN PARTNER

Finance Lim
Cdn 10172

PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये ब्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ**

Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustrative purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website <https://haryanaerao.gov.in/>. Journey time shown, if any, is based upon Google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt = 10.7639 sq. ft. The subsidy differs as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount top for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 yrs but subsidy can be availed only 12 yrs of loan amount.

☎ 7053-121-121